फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :–श्री कालु बनाम विपक्षी :– श्री फतेहलाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 07/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आमजे दिलवाई गई। अत अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 20 के नाम, 21 से 32 के क्रमश: पिता, पति, दादा खेमा के नाम व प्रार्थी संख्या 33 से 37 के पिता, पति माना के नाम दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा खेमा व माना फौत होना बताया जिससे उनके वारिसान को पक्षकार बनाया। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खडोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नही होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते है। अत: विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कूंथवास पटवार हल्का कूंथवास, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 65 की आराजी न 42 से 56, 77 से 88 किता 27 रकबा 6.9600 है. भूमि की चारो दिशाओ सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अत: यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:32:56 IST
Reason: SelfAttested